राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या–2120/2014/जोधपुर

राजस्थान सरकार जरिये चतुर्थ जोधपुर जिला जोधपुर। ....प्रार्थी

बनाम

1. श्री हरीश कुमार पुत्र स्व. श्री भगवानदास।
2. श्री अशोक कुमार पुत्र स्व. श्री भगवानदास।
3. सुनीता पुत्री स्व. श्री भगवानदास।
4. श्रीमती लक्ष्मीदेवी पत्नी स्व. श्री भगवानदास।
5. श्री संदीप शर्मा पुत्र स्व. श्री भवानीशंकर।
6. श्री गौरव शर्मा पुत्र स्व. श्री भवानीशंकर।
7. श्री विनिता पुत्री स्वं श्री भवानीशंकर, पत्नी श्री राजेश शर्मा।

जातिगण जांगीड–सुथार, निवासीगण–802/सी, चौपासनी रोड, जोधपुर तहसील एवं जिला–जोधपुर। ...अप्रार्थीगण

एकलपीठ

श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

श्री जमील जई
उप–राजकीय अभिभाषक ....प्रार्थी की ओर से

श्री जे.पी.शर्मा
अभिभाषक ....अप्रार्थीगण सं. 1 से 7 की ओर से

निर्णय दिनांक : 28.06.2017

निर्णय

1. यह निगरानी प्रार्थी द्वारा विद्वान कलक्टर (मुद्रांक) जोधपुर (जिसे आगे **'कलक्टर'** कहा गया है) के आदेश दिनांक 22.07.2014 प्रकरण संख्या 289/2012 के विरूद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे **'मुद्रांक अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने उपपंजीयक चतुर्थ जोधपुर द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स को स्वीकार किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अप्रार्थीगण द्वारा वाके चौपासनी रोड जोधपुर मे स्थित जायदाद के बंटवाडा का दस्तावेज, पंजीयन हेतु दिनांक 28.09.2010 का उपपंजीयक चतुर्थ जोधपुर के समक्ष पेश करने पर उपपंजीयक ने उक्त बंटवाडा की सम्पत्ति की मालियत रू. 10000000/– पर अधिकतम मुद्रांक कर रू 10000/– एवं पंजीयन शुल्क रू 50000/– अप्रार्थीपक्ष से वसूल कर मूल दस्तावेज संबंधित पक्षकार को लोटा दिया गया। बाद पंजीयन ऑडिट के दौरान निरीक्षणकर्ता ने ऑब्जर्वेशन दिया कि राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 की अनुसूची के आर्टिकल 42

am

लगातार.....2

के अनुसार विभाजन पत्र पर सम्पत्ति के एक हिस्से को छोडकर अलग हुए हिस्सों पर कन्वेन्स की दर से मुद्रांक कर लिये जाने का प्रावधान है तथा दिनांक 09.07.98 की अधिसूचना नये स्टाम्प एक्ट 2004 के शिडयूल 42 के असंगत होने के कारण उक्त अधिसूचना विधि मान्य नहीं है। अतः निर्धारित मालियत पर कन्वेन्स की दर से देय मुद्राक कर एवं पंजीयन शुल्क की राशि वसूल योग्य है। अंकेक्षण द्वारा उक्त आक्षेप लिये जाने पर उपंपजीयक ने मुद्राक अधिनियम की धारा 54 के तहत् संबंधित पक्ष को नोटिस जारी किया गया। संबंधित पक्ष द्वारा अन्तर राशि जमा नही करवाये जाने पर रेफरेन्स अधीनस्थ न्यायालय में प्रेषित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने रेफरेन्स के आधार पर कमी स्टाम्प का प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा नोटिस जारी कर अप्रार्थीपक्ष को सुनवाई का अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निगरानीधीन निर्णय द्वारा रेफरेन्स इस आधार पर खारिज कर दिया कि वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 09.07.98 वर्तमान में भी लागू है जिसके विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत हुई है।

3. निगरानी दर्ज की जाकर रिकार्ड व अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं. 1 से 6 की ओर से उनके विद्धान अभिभाषक उपस्थित आये।

4. विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 की धारा 2 (xx) में विभाजन–पत्र (Partition Deed) को परिभाषित किया गया है। अधिनियम की अनुसूची के आर्टीकल–42 के अनुसार विभाजन पत्र पर सम्पत्ति के एक सबसे बडे हिस्से को छोडकर शेष अलग हुये हिस्से/हिस्सों पर कन्वेन्स की दर से मुद्रांक कर प्रभार्य है। प्रश्नगत दस्तावेज के द्वारा विभाजन–पत्र के माध्यम से अचल सम्पत्ति विभिन्न बटवाराकर्ताओं के मध्य विभाजन किया गया है जिसमें सम्पत्ति का वास्तविक कब्जा स्वामित्व एवं अधिकारी हस्तान्तरित हुआ है। अतः उक्त आर्टीकल–42 की अनुपालना करते हुये कन्वेन्स की दर से मुद्रांक कर प्रभार्य है जिसके आधार पर प्रस्तुत रेफरेन्स को स्वीकार किया जाना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नहीं है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर रेफरेन्स स्वीकार किया जावे।

5. विद्धान अभिभाषक अप्रार्थीगण की ओर से निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है तथा राजस्थान सरकार के वित्त विभाग के पत्र दिनांक 01.12.2010 में यह स्पष्ट किया गया है कि मुद्रांक शुल्क में रियायत के लिए पुराने अधिनियम में जारी अधिसूचनाए नये अधिनियम में भी प्रभावी है। अतः निगरानी खारिज की जावे।

लगातार.....3

6. हमनें पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :–

7. निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र सशपथ होने, प्रार्थना पत्र में अंकित कारण कि प्रशासनिक प्रकिया में समय लगा है संतोषजनक होने, निर्णय गुणावगुण के आधार पर श्रेयस्कर होने के दृष्टिगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निगरानी अन्दर मियाद मानी जाती है।

8. अधीनस्थ न्यायालय में रेफरेन्स का मुख्य आधार यह था कि राजस्थान मुद्रांक अधिनियम के आर्टिकल–42 के अनुसार विभाजन पत्र के दस्तावेज में संपति के एक बड़े हिस्से को छोड़ते हुये शेष हिस्से की मालियत पर कन्वेंस की दर से मुद्रांक कर देय होना चाहिए। अप्रार्थी ने राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 09.07.1998 संख्या एफ4(14)एफडी/डिवी/98–52 के अनुसार पैतृक संपति के बंटवारा नामा पर एक बडे हिस्से को छोडकर शेष हिस्सों की मालियत पर 1 प्रतिशत अधिकतम रू. 10,000/– मुद्रांक कर लिये जाने की रियायत होने की बात कही है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में रेफरेन्स इस आधार पर खारिज किया है कि राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 09.07.1998 संख्या एफ4(14)एफडी/डिवी/98–52 के अनुसार पैतृक संपति के बंटवारानामा पर एक बडे हिस्से को छोडकर शेष हिस्सों की मालियत पर 1 प्रतिशत अधिकतम रू. 10,000/– मुद्रांक कर लिये जाने का प्रावधान है।

प्रकरण में इस बिन्दु पर विचार किया जाता है कि उपरोक्त अधिसूचना जो भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 जो कि वर्तमान राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 के लागू होने की दिनांक 27.05.2004 से पूर्व लागू था, के अन्तर्गत जारी अधिसूचना वर्तमान अधिनियम के असंगत है या नही तथा इसका लाभ इस दस्तावेज पंजीयन दिनांक 01.01.2010 पर देय है या नही। इस संबंध में राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 की धारा 91 (2) का अवलोकन किया जाता है जो निम्न प्रकार है :–

91. Repeal and Savings —

(2) Any appointment, notification, notice, order, rule or form made or issued under the enactment hereby repealed shall be deemed to have been made or issued under the provisions of this Act, in so far as such appointment, notification, notice, order, rule or form is not inconsistent with the provisions of this Act and shall continue in force, unless and until it is superseded by an appointment, notification, notice, order, rule or form made or issued under this Act. इस प्रावधान से यह स्पष्ट है कि पुराने अधिनियम के अन्तर्गत जारी की गई कोई अधिसूचना नये अधिनियम में तब तक लागू होगी जब तक कि यह अधिसूचना अतिष्टित (Superseded) न कर दी जावें।

लगातार.....4

अधिसूचना दिनांक 09.07.1998 को प्रत्याहारित करने के संबंध में राज्य पक्ष की ओर से कोई परिपत्र या अधिसूचना या विधिक प्रावधान प्रस्तुत नही किया है। राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 की धारा 9 (1) निम्न प्रकार है :–

9 - Power to reduce, remit or compound duties

(1) The Government, if satisfied that it is necessary to do so in the public interest, may by rule or order published in Official Gazette, reduce or remit, whether prospectively or retrospectively, in the whole or any part of the territories under its administration, the duties with which any instruments or any particular class of instruments, or any of the instruments belonging to such class, or any instruments when executed by or in favour of any particular class of persons, or by or in favour of any member of such class are chargeable. इस प्रावधान के अन्तर्गत राज्य सरकार को जनहित में शुल्क को कम करने की शक्तियाँ प्रदत्त है। अधिसूचना दिनांक 09.07.1998 भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 की धारा 9 के अन्तर्गत जारी की गई है जिसमें भी राज्य सरकार को शुल्क कम करने की शक्तियाँ थी। इस प्रकार जिन शक्तियों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 की धारा 9 के अन्तर्गत शुल्क में रियायत की अधिसूचना दिनांक 09.07.1998 जारी की गई है, वही शक्तियाँ राज्य सरकार को राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 की धारा 9 के अन्तर्गत प्रदत्त है तथा यह अधिसूचना नये अधिनियम के अन्तर्गत असंगत नही मानी जा सकती।

इस संबंध में मुद्रांक विभाग द्वारा ली गई विधिक स्थिति हेतु महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर का परिपत्र संख्या 24/2015 क्रमांक : एफ 7(39)जन/मार्गदर्शिका/2015/पार्ट/4671 दिनांक 17.06.2015 अवलोकनीय है जो निम्नुसार है :– राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 के लागू होने की दिनांक 27.05.2004 से पूर्व लागू राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत दी गई मुद्रांक शुल्क की रियायतें वर्तमान में प्रभावी होने के संबंध में :– "राज्य सरकार द्वारा पत्र क्रमांक प.2(50)वित/कर/10 दिनांक 01.12.2010 द्वारा विधि विभाग की राय के आधार पर यह स्पष्ट किया है कि राज. स्टाम्प अधिनियम 1998 की धारा 91(2) के अनुसार राजस्थान स्टाम्प लॉ (अडपटेशन) एक्ट, 1952 (भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899) के प्रावधानों के अधीन जारी अधिसूचनायें नये अधिनियम में भी जारी की गई समझी जावेगी, जब तक की वे वर्तमान अधिनियम, 1998 के प्रावधानों से असंगत न हों। पूर्व अधिनियम में स्टाम्प शुल्क को कम करने की शक्तियां राज्य सरकार को थी तथा नये अधिनियम की धारा 7 में भी ये शक्तियां राज्य सरकार को प्राप्त है। राज्य

लगातार.....5

सरकार के उपरोक्त मार्गदर्शन से यह स्पष्ट है कि पूर्व अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत मुद्रांक शुल्क मे रियायत के संबंध में जारी समस्त अधिसूचनाएँ वर्तमान अधिनियम के अन्तर्गत भी प्रभावी हैं।"

विभाग स्वयं द्वारा ली गयी उपरोक्त विधिक धारणा से भी स्पष्ट है कि मुद्रांक शुल्क मे रियायत के संबंध में जारी समस्त अधिसूचनाएँ वर्तमान अधिनियम के अन्तर्गत भी प्रभावी है। इस प्रकार इस न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि अधिसूचना दिनांक 09.07.1998 जो भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 जो कि वर्तमान राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 के लागू होने की दिनांक 27.05.2004 से पूर्व लागू था, के अन्तर्गत जारी अधिसूचना का लाभ इस दस्तावेज पंजीयन दिनांक 28.09.2010 पर देय है।

9. प्रकरण में इस बिन्दु पर भी विचार किया जाता है कि जिस संपत्ति का विभाजन पत्र निष्पादित किया गया था वह संपत्ति पैतृक है या नहीं। पैतृक संपत्ति के संबंध में The Advanced Law Lexicon (Law Dictionary compiled and edited by P. Ramanatha Aiyar Published by Wadhwa & Company Nagpur, India 3rd Edition Reprint 2007) में निम्न प्रकार उल्लेख किया गया है :– Ancestral Property : If property came to a son as gift from his father, it can not be regarded his ancestral property. **Ancestral properties in the ordinary sense mean property of the father which is inherited. Ancestral property does not necessarily mean property which has been a long time in a family, it rather means, property derived from the proprietor's father.** इस डिक्शनरी में पैतृक संपत्ति के संबंध में की गई व्याख्या से यह स्पष्ट है कि यदि कोई संपत्ति पिता या उच्चतर श्रेणी के पूर्वजों से कोई संपत्ति प्राप्त होती है तो वह पैतृक संपत्ति की श्रेणी में है।

बंटवारनामा दस्तावेज पंजीयन दिनांक 28.09.2010 मे बंटवारनामा अप्रार्थीगण के मध्य निष्पादित हुआ है। दस्तावेज में श्री भगवानदास का स्वर्गवास दिनांक 26.02.99 को होना अंकित है तथा दस्तावेज में यह उल्लेख है कि दस्तावेज से संबंधित संपत्ति श्री भगवानदास द्वारा दिनांक 3 अलग–अलग विक्रय पत्रों के जरिये क्रय की गई थी। इस प्रकार संपत्ति श्री भगवानदास की स्व–अर्जित संपत्ति है परन्तु अप्रार्थीगण को यह संपत्ति श्री भगवानदास की मृत्यु के पश्चात विरासतन प्राप्त हुई है जो अप्रार्थीगण की पैतृक संपत्ति मानी जायेगी। इस प्रकार निगरानी का यह आधार स्वीकार योग्य नही है कि बंटवारनामा से संबंधित संपत्ति पैतृक नही है।

10. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर बंटवारनामा से संबंधित संपत्ति अप्रार्थीगण को उनके पिता की मृत्यु के बाद पिता की संपत्ति विरासतन प्राप्त होने के कारण पैतृक एवं ऐसे दस्तावेज पर अधिसूचना दिनांक 09.07.1998 लागू होने के कारण निगरानी सारहीन है एवं खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय यथावत रखा जाता है।

11. निर्णय सुनाया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य